लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 023
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल cpibhop@nic.in

पत्र क्र.विद्या/पी/मेसस/10/841 भोपाल, दिनॉक 11/08/2010

//आदेश//

शासकीय विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढनेवाले विद्यार्थी सामान्यतः कम्प्यूटर के सामान्य ज्ञान से परिचित रहते हैं, किन्तु अधिकांश के पास कम्प्यूटर न होने से वे इसमें विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाते और आगामी पढ़ाई में कठिनाई अनुभव करते हैं। वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कम्प्यूटर का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्रायः सभी क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर से आगे का अध्ययन वर्तमान में ऑन लाइन होता जा रहा है तथा परीक्षाएं भी ऑन लाइन होने लगी है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के पास स्वंय का कम्प्यूटर होने से आगामी पढ़ाई में सुविधा होगी तथा वे अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनॉक 3.02.2009 को घोषणा की गई थी कि:–

" कक्षा 12वीं के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र–छात्राओं को जो हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करेंगे, उन्हें पुरस्कार स्वरूप शासन की ओर से एक कम्प्यूटर प्रदान किया जायेगा।"

उक्त घोषणा के क्रियान्वयन में योजना निम्नानुसार है:–

1. **योजना का नाम**
   प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन योजना ।

2. **योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन:–**
   इस योजना में माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में प्रतिवर्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर क्रय हेतु निर्धारित तिथि को सार्वजनिक समारोह में प्रति विद्यार्थी रु. 25000/– का ड्राफ्ट प्रदाय किया जायेगा।

3. **वित्तीय व्यवस्था:–**
   हितग्राही विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष बजट प्रावधान किया जायेगा। आवश्यक होने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल से अग्रिम राशि प्राप्त की जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति माध्यमिक शिक्षा मंडल को की जायेगी।

यह योजना प्रदेश में वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है जो प्रतिवर्ष कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी।

(बी.आर.नायडू)
आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश एवं
पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

पत्र क्र.विद्या/पी/मेसस/10/842 भोपाल, दिनॉक 11/08/2011

प्रतिलिपिः–

1.सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल।
2.विशेष सहायक, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा,म0प्र0 शासन, भोपाल।
3.विशेष सहायक मान. राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, मप्र0 शासन,भोपाल।
4.मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, म0प्र0 शासन, भोपाल।
5.प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6.आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
7.आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0, भोपाल।
8.सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।
9.समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. कलेक्टर, सिवनी की ओर उनके पत्र क्र.1505, दिनॉक 12.3.2009के अनुक्रम में सूचनार्थ।
12. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश,
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश एवं
पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग